



101

R-2152-PBR/14

अजय कुमार पटेल आयु 37 वर्ष आओ प्रदीप कुमार

निवासी धूल रोड पुरानी इटारसी वार्ड क्र. 1

ताज टी.व्ही.एस. ग्रीन्स के पास तहसील

इटारसी जिला होशंगाबाद ----- पापिकाकर्ता

बनाम

1. मोहनदास पटेल आओ स्व० नन्हेलाल पटेल

निवासी जमानी रोड पुरानी इटारसी तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद

2. प्रदीप कुमार पटेल आयु 55 वर्ष

3. पीरेन्द्र कुमार पटेल आयु 62 वर्ष

4. नर्मदा प्रताप आयु करीब 72 वर्ष

5. रेवती प्रताप पटेल आयु करीब 67 वर्ष

क्रमांक 2 लगायत 5 आओ स्व० श्री नन्हेलाल पटेल

सभी निवासी धूल रोड पुरानी इटारसी

ताज टी.व्ही.एस. सुजूकी ग्रीन्स के पास इटारसी

तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ----- उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण पापिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

राजस्व प्र.क्र.56-एच 2010-2011 मोहनदास - बनाम

प्रदीप कुमार कोरह में तहसीलदार इटारसी द्वारा पारित आदेश

दिनांक 28.8.2011 से उत्पन्न पुनरीक्षण पापिका क्र. 41-अ/6 वर्ष

10-11 में श्रीमान कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा पारित

आदेश दिनांक 19.9.11 से उत्पन्न पुनरीक्षण पापिका क्र. 07 निमा.

11-12 में पारित आदेश दिनांक 20.2.2014 से विपरीत ...

श्री. प्रदीप डूबे  
अभिभाषक द्वारा  
ताज दिनांक 9-7-14  
को भोकरल बेयर पर  
उस्तुत

9-7-14  
17-7-14

XXXIX(a)-BR(H)-11

20/11/17 मेहरावा

संजय प्रकाश, मन्व्यवस्था-मन्त्रालय

अनुदान आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक R. 2157-18-P116 मिला दोशंका 114

संज्ञा तथा दिनांक	कारणवही तथा आदेश	व्यक्तियों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
23/11/17	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.पी. यादव अभिभाषक के उपाक्षेप टाकर पेशी नोट की गई है, जबकि उनका वकालतनामा अथवा मेमो प्रकाश में प्रस्तुत नहीं है। अतः आवेदक की ओर से उक्त प्रकरण में वकील दुरु अधिकृत नहीं होने से उनकी उपाक्षेप मान्य नहीं की जा सकती है। फलस्वरूप आवेदक की ओर से सूचना उपरोक्त विधि के भी उपाक्षेप नहीं होने से प्रकाश अंश पेशी में खालि किया जाता है।</p>	<p style="text-align: center;">अध्यक्ष</p>